न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 68 / 2020

राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती तहसील नगर जिला भरतपुर ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नगर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 06.10.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री राधेश्याम पुरोहित पुत्र पूरनाराम निवासी फतेहपुर कलां पोस्ट मूडोती तहसील नगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2020 उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना चाही गई थी । उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 503 दिनांक 17.09.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उपखण्ड अधिकारी नगर से उनके पत्र कमांक / 423 दिनांक 28.09.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है । उपखण्ड अधिकारी नगर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 423 दिनांक 28.09.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 534 दिनांक 02. 09.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी नगर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नगर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर